बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

पशुपालन निदेशालय

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

बिहार सरकार

पत्रांकः–10/नि0 (विधि) 05/2022 .... दिनांक–..................................../2025

"आदेश"

वादी AIMS International, Ambala City, Haryana द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC सं0–11687/2022 मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना का दिनांक–24.08.2022 को पारित आदेश के आलोक में काली सूची में शामिल किये जाने के आदेश से मुक्त करने संबंधी आदेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने दिनांक–24.08.2022 को सुनवाई उपरान्त उक्त याचिका को निस्तारित करते हुए न्यायादेश पारित किया, जिसका अंश निम्नवत् हैः–

कंडिका– 11– "*We noticed that the impugned order insofar as it relates to blacklisting is concerned, requires interference as the same is in utter violation of the fundamental principles of natural justice and at the same time does not even remotely consider the objection raised by the petitioner that he never participated in the tender process relating to the year 2014-2015, 2015-2016 and 2016-2017 hence the impugned order dated 04-03-2021 (Annexure- 10 to the writ application) issued by the respondent no. 4 whereby the petitioner and his authorised representative stands blacklisted is quashed and set aside.*" तथा कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

कंडिका 12–"*The appropriate authority shall pass a fresh order, in accordance with law, after complying with the principles of natural justice, giving adequate opportunity of hearing after supplying the evidence and other documents requested by the petitioner.*"

उल्लेखनीय है कि डॉ० मणिलाल रस्तोगी, सामाजिक कार्यकर्त्ता, डॉ० बी०बी० घोष लेन, मोतीझील, मुजफ्फरपुर–842001 ने पत्रांक–32 दिनांक–26.05.2017 के माध्यम से प्रेषित पत्र में फर्म एम्स इन्टरनेशलन, 599, ट्रेजरी रोड, अम्बाला सिटी (हरियाणा) द्वारा बिहार के विक्रेता (SDL Corporation, Patna) के माध्यम से फर्जी कागजों के आधार पर वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में जिला पशुपालन कार्यालयों के निविदा में फर्जी दस्तावेजों के उपयोग का आरोप लगाते हुए विधि सम्मत कार्रवाई संबंधी परिवाद तत्कालीन निदेशक, पशुपालन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिवाद पत्र में अंकित तथ्यों यथा–परिवादी द्वारा लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत विभिन्न जिलों से फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana का Drug License, G.M.P. & Non Conviction Certificate एवं उनके आपूर्तिकर्त्ता की जानकारी के साथ सभी कागजातों को प्राप्त किया जाना, उक्त दस्तावेजों को लोक सूचना पदाधिकारी–सह–ड्रग्स ऑफिसर, अम्बाला को Drug License पर अंकित हस्ताक्षर की

सम्पुष्टि का अनुरोध किया जाना तथा State Public Information -Cum-Drug Control Officer, Ambala City के पत्रांक– DCO-II/2016/CPL-1 Date 08.09.2016 के माध्यम से Drug License Number-12475-OW/H एवं 12293–W/H को State Drugs Controller, Haryana के द्वारा जारी नहीं होना एवं दस्तावेज पर अंकित हस्ताक्षर फर्जी बताये जाने की सूचना दी गयी एवं उक्त पत्रांक का छायाप्रति प्रेषित किया गया। साथ ही शिकायतकर्त्ता द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रेषित आवेदनों एवं अन्य पत्रों की छायाप्रति संलग्न की गयी।

तत्क्रम में परिवाद पत्र में अंकित तथ्यों की जाँच हेतु पशुपालन निदेशालय के पत्रांक–237 (नि०) दिनांक–24.01.2018 द्वारा एक त्रिसदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया। इसी बीच डॉ० मणिलाल रस्तोगी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में इसी विषय पर CWJC No.-534/2018 दायर किया गया।

पुनः उक्त वाद के आलोक में पशुपालन निदेशालय के पत्रांक–3129 (नि०) दिनांक–05.10.2018 द्वारा तत्कालीन संयुक्त निदेशक (मु०) की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का पुर्नगठन करते हुए मामले की जाँच कर विस्तृत प्रतिवेदन दिये जाने हेतु निदेशित किया गया। समिति के जाँच प्रतिवेदन दिनांक–26.10.2018 के आलोक में " AIMS International, Ambala City, Haryana" तथा उनके प्राधिकृत विक्रेता "SDL Corporation, Patna" के द्वारा जिला स्तरीय पशु दवाओं के क्रय हेतु प्रकाशित विभिन्न निविदाओं में समर्पित Drug License, Non- Conviction Certificate, GMP Certificate, Performance Certificate एवं Affidavit की सम्पुष्टि संबंधित दस्तावेजों को निर्गत करने वाले प्राधिकार से किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के आलोक में राज्य लाईसेंसिंग प्राधिकार निदेशालय, आयुष विभाग, हरियाणा, सेक्टर–03, पंचकुला ने पत्रांक–8468, दिनांक–20.03.2019 द्वारा AIMS International, Ambala City, Haryana के पक्ष में निर्गत Performance Certificate एवं Non- Conviction Certificate को अपने कार्यालय से जारी नही बताया गया। उक्त Performance Certificate एवं Non- Conviction Certificate को AIMS International, Ambala City, Haryana तथा उनके प्राधिकृत विक्रेता "SDL Corporation, Patna" द्वारा संगत निविदाओं में उपयोग किया गया था।

उपर्युक्त वस्तुस्थिति के आलोक में पशुपालन निदेशालय के पत्रांक–201 (नि0), दिनांक–15.01.2021 के द्वारा फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana को उक्त पत्र के संबंध में स्वयं उपस्थित होकर (साक्ष्य सहित) अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया था, परन्तु फर्म के Proprietor/प्राधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि एवं समय को उपस्थित नही हुये। पत्र में अंकित किया

गया था कि "निर्धारित तिथि/समय को आप स्वयं उपस्थित होकर (साक्ष्य सहित) अपना पक्ष रखना सुनिश्चित करें, आपकी अनुपस्थिति में समक्षा जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नही कहना है और विभाग नियमानुकूल एकपक्षीय निर्णय के लिए स्वतंत्र होगा", इसके बावजूद भी AIMS International, Ambala City, Haryana के Owner अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नही हुये थे।

तदालोक में AIMS International, Ambala City, Haryana तथा निविदा में भाग लेने वाले उनके प्राधिकृत विक्रेता SDL Corporation, Patna को काली सूची में दर्ज कर दिया गया।

पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना ने दिनांक–24.08.2022 को सुनवाई उपरान्त उक्त याचिका को निस्तारित करते हुए पारित न्यायादेश कंडिका 11 एवं कंडिका 12 के अनुपालन के क्रम में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप फर्मों को अपना पक्ष (साक्ष्य सहित) रखने हेतु पर्याप्त अवसर देते हुए दिनांक–31.08.2023 को उपस्थित होने हेतु निदेशित किया गया था। तदालोक में SDL Corporation, Patna के Proprietor/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये लेकिन AIMS International, Ambala City, Haryana के Proprietor/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नही हुये। SDL Corporation, Patna के Proprietor/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपने पक्ष के संबंध में दस्तावेज/ अभिलेख समर्पित किया गया।

पुनः दिनांक–30.10.2023 को फर्मों को अपना पक्ष (साक्ष्य सहित) रखने हेतु उपस्थित होने का निदेश दिया गया। तदालोक में उक्त दोनो फर्मों के Proprietor/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। AIMS International, Ambala City, Haryana के Proprietor/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा बैठक में समर्पित पत्र पत्रांक– AIMS/2023-24/5756, दिनांक–28.10.2023 में पूर्व की बातों का ही उल्लेख किया गया। पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक के अवलोकन से पत्र में उल्लेखित बातों के संबंध में सुस्पष्ट एवं तथ्यपरक साक्ष्यों का अभाव पाया गया, जिससे फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana द्वारा किये जा रहे दावों के तथ्यों की प्रमाणिकता स्पष्ट नही होने के कारण पुनः दिनांक–30.01.2024 को अपना पक्ष (साक्ष्य सहित) रखने हेतु उपस्थित होने का निदेश दिया गया। उक्त बैठक में AIMS International, Ambala City, Haryana के Proprietor/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये तथा SDL Corporation, Patna के Proprietor/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दूरभाष के माध्यम से पटना से बाहर रहने के कारण अपनी अनुपस्थिति के संबंध में संसूचित किया गया। उक्त बैठक में फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana के प्रतिनिधि द्वारा सुनवाई में अपने पूर्व प्रेषित पत्रों में अंकित आरोपों यथा पशुपालन विभाग के जिला स्तर पर वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में किसी भी निविदा में स्वयं भाग नहीं लेने तथा फर्म द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के साथ ही बिना किसी आधार के काली सूची में डालने की बात दोहरायी गयी। तदालोक में इनके द्वारा किये जा रहे दावा कि वे किसी भी निविदा में स्वयं

भाग नहीं लिये हैं तथा फर्म द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है के संबंध में फर्म SDL Corporation, Patna के Proprietor/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा समर्पित दस्तावेज एवं अभिलेख का अवलोकन कराया गया तथा बिना किसी आधार के काली सूची में डाले जाने के आरोप के संबंध में राज्य लाईसेंसिंग प्राधिकार निदेशालय, आयुष विभाग, हरियाणा के पत्रांक–8468 दिनांक–20.03.2019 की प्रति उपलब्ध कराते हुए उक्त के संबंध में अपना पक्ष रखने/स्थिति स्पष्ट करने हेतु निदेशित किया गया। तत्क्रम फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana के प्रतिनिधि द्वारा अपना पक्ष रखने/स्थिति स्पष्ट करने हेतु कुछ समय दिये जाने का अनुरोध किया गया।

उक्त संदर्भ का एक वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana के द्वारा अपना पक्ष/स्थिति स्पष्ट नहीं किया गया। तदालोक में नैर्सिगक न्याय के सिद्धांत का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पुनः पशुपालन निदेशालय के पत्रांक–1444 (नि०) दिनांक–07.04.2025 के माध्यम से फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana को अंतिम अवसर देते हुए दिनांक–11.04.2025 तक अपना पक्ष रखने एवं निर्धारित समय तक उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निर्णय लिये जाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया। निर्धारित समय तक फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए न ही उनके द्वारा पशुपालन निदेशालय के पत्र का जवाब दिया गया।

तत्पश्चात् दिनांक–23.04.2025 को फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana के द्वारा पशुपालन निदेशालय को पत्र प्रेषित कर अपने ईमेल नेटवर्क के तकनीकी कारणों से काम नहीं करने का उल्लेख करते हुए सुनवाई की अगली तारीख तय किये जाने एवं इसकी सूचना अपने दूसरे ईमेल आई०डी० drjaingroup@gmail.com पर उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही यह सूचित किया गया कि अगली तारीख को उनके द्वारा दस्तावेज उपलब्ध कराया जायेगा। तद्‌लोक में पशुपालन निदेशालय के पत्रांक–1778 (नि०) दिनांक–09.05.2025 के माध्यम से फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana को पुनः अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक–21.05.2025 का समय निर्धारित करते हुए पत्र प्रेषित किया गया। उक्त सुनवाई में फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana के Proprietor/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनके द्वारा एक पत्र समर्पित किया गया जिसके साथ फर्म SDL Corporation, Patna के पक्ष में निर्गत प्राधिकार पत्र को संलग्न करते हुए अंकित किया गया है कि

"हमने अपनी FIRM एम्स इन्टरनेशनल द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 में जिला पशुपालन विभाग, बिहार द्वारा जारी की गयी निविदा में हमारी FIRM एम्स

इन्टरनेशनल द्वारा सीधे तौर पर भाग नहीं लिया गया था उक्त वित्तीय वर्षों में हमारी FIRM एम्स इन्टरनेशनल द्वारा SDL कॉरपोरेशन पटना को निविदा में भाग लेने एवं दवाई सप्लाई करने एवं निविदा से संबंधित कोई भी सरकारी दस्तावेज जैसा कि प्रमाण पत्र एवं SECURITY MONEY SDL कॉरपोरेशन पटना द्वारा जिला पशुपालन अधिकारियों द्वारा जारी की गयी निविदा में दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे।"

साथ ही फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना (पशुपालन) द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में पशु दवाओं के क्रय हेतु प्रकाशित निविदा सूचना PR 4318 (Animal & Fish) 2017–18 के आलोक में दिनांक–22.08. 2017 को सम्पन्न तकनीकी निविदा समिति के बैठक की कार्यवाही की छायाप्रति संलग्न करते हुए यह दावा किया गया कि उक्त समिति द्वारा फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana के द्वारा समर्पित कागजात/प्रमाण पत्र तकनीकी शर्त्तो के अनुसार सही बताया गया है।

उपर्युक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि इस सुनवाई से पूर्व फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के निविदाओं में भाग लेने से इनकार किया जाता रहा है। जबकि उक्त सुनवाई के क्रम में फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana द्वारा निविदा में भाग लेने हेतु फर्म SDL Corporation, Patna को प्राधिकृत किया जाना स्वीकार किया गया है। विभागीय तकनीकी निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही में अंकित "निविदादाता द्वारा समर्पित किये गये शेष सभी वांछित कागजात/प्रमाण पत्र निविदा में अंकित तकनीकी शर्त्तो के अनुसार सही पाया गया" के संबंध में विदित हो कि किसी भी निविदा के तकनीकी निविदा हेतु समर्पित प्रमाण पत्रों को तकनीकी निविदा समिति के सदस्यों द्वारा प्रथम दृष्ट्या जाँच (संबंधित आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज/प्रमाण पत्र पर अंकित नाम/तिथि/निर्गत करने वाले प्राधिकार का नाम आदि) की जाती है एवं सभी वांछित कागजात उपलब्ध रहने की स्थिति में उसे तकनीकी शर्त्तो के अनुसार सही माना जाता है। इस क्रम में किसी भी समर्पित प्रमाण पत्र की सत्यता/प्रमाणिकता की जाँच नहीं करायी जाती है। आवश्यकतानुसार एवं कोई शिकायत प्राप्त होने पर ही किसी भी फर्म के द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों की जाँच निर्गत करने वाले प्राधिकार से कराया जाता है। ऐसा ही फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana के मामले में पशुपालन निदेशालय द्वारा किया गया।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में फर्म SDL Corporation, Patna के Proprietor/प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा समर्पित दस्तावेज एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन) के

जिला स्तर पर वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 के निविदा में स्वयं तथा SDL Corporation, Patna के माध्यम से भाग लिया गया। वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 एवं 2016–17 में फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana के प्राधिकृत प्रतिनिधि SDL Corporation, Patna के द्वारा समर्पित दस्तावेजों में से AIMS International, Ambala City, Haryana के पक्ष में निर्गत Performance Certificate एवं Non- Conviction Certificate को राज्य लाईसेंसिंग प्राधिकार निदेशालय, आयुष विभाग, हरियाणा, सेक्टर–03, पंचकुला के द्वारा पत्रांक–8468, दिनांक–20.03.2019 के माध्यम से कार्यालय से जारी नहीं बताया गया है।

फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana द्वारा राज्य लाईसेंसिंग प्राधिकार निदेशालय, आयुष विभाग, हरियाणा, सेक्टर–03, पंचकुला के पत्रांक–8468, दिनांक–20.03.2019 में अंकित वस्तुस्थिति/तथ्यों का खंडन नहीं किया गया। राज्य लाईसेंसिंग प्राधिकार निदेशालय, आयुष विभाग, हरियाणा, सेक्टर–03, पंचकुला के पत्रांक–8468, दिनांक–20.03.2019 में अंकित तथ्यों से यह स्पष्ट है कि फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana एवं उनके प्राधिकृत फर्म SDL Corporation, Patna के द्वारा जाली/फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निविदा में भाग लेकर विभाग को गुमराह करते हुए गलत तरीके से आपूर्ति आदेश प्राप्त किया गया।

अतएव फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana द्वारा अपने फर्म को काली सूची में शामिल किये जाने के आदेश से मुक्त करने संबंधी अनुरोध को खारिज करते हुए वर्तमान आदेश निर्गत की तिथि से एक (01) वर्ष के लिए काली सूची में दर्ज किया जाता है।

इस आदेश की सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/–

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक:–10/नि0 (विधि) 05/2022 2081 (नि0)**/पटना–15, दिनांक–** 30/05 **/2025**

प्रतिलिपि :– विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने) हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– फर्म AIMS International, Ambala City, Haryana को CWJC सं0– 11687/2022 में सन्निहित न्यायादेश के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– फर्म SDL Corporation, Patna को सूचनार्थ प्रेषित।

30/5/2025

निदेशक, पशुपालन।